भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1594

08.12.2015 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों में खनन

1594. प्रो. ए.एस.आर. नाईक :

डॉ. रत्ना डे (नाग) :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस प्रकार के खनन से कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) देश की वनस्पति और जीव-जंतुओं को क्षति से बचाने केलिए वन क्षेत्र में ऐसी खनन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग) भारत सरकार, विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान करती है । केन्द्र सरकार ने खनन के लिए वर्ष 2012 के दौरान 30 मामलों में 3,866 हेक्टेयर, वर्ष 2013 में 42 मामलों में 8,450 हेक्टेयर, वर्ष 2014 में 58 मामलों में 13,043 हेक्टेयर और वर्ष 2015 के दौरान 35 मामलों में 4,889 हेक्टेयर भूमि के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किए हैं । केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कार्यकलापों के लिए वन क्षेत्रों के उपयोग का अनुमोदन, विकास कार्यकलापों के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों और वनीकरण उपायों के साथ, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (ii) के अंतर्गत दिया जाता है । इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करते समय केन्द्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर विचार करती है :

i. क्या वनेतर प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि, किसी प्राकृतिक रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिज़र्व का भाग है अथवा वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न अथवा विलुप्तप्रायः प्रजातियों के वास-स्थलों अथवा किसी अत्यधिक क्षरित आवाह-क्षेत्र का भाग है;

ii. क्या वन भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों हेतु अथवा किसी नदी घाटी अथवा जल-विद्युत परियोजना के कारण अपने निवास-स्थल से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु है;

iii. क्या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, ने यह प्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचार कर लिया है और यह भी कि इन परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प व्यवहार्य नहीं है और यह भी कि प्रयोजन के लिए आवश्यक अपेक्षित क्षेत्र कम से कम है;

iv. क्या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, भूमि अधिग्रहण के लिए अपने खर्चे पर समतुल्य क्षेत्र और उस पर वनीकरण करने का संकल्प लेते हैं;

v. क्या वन भूमि की प्रति इकाई आवश्यकता, समान परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है;

vi. क्या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, ने अपनी सिफारिश देने से पूर्व वन, वन्यजीव और पर्यावरण पर वन भूमि के अपवर्तन के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार कर लिया है ।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अनुरोध पर सभी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग के प्रस्ताव पर विचार करती है और सामान्य, मानक और विशिष्ट शर्तों के रूप में उपशामक उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्व अनुमोदन प्रदान करती है । सामान्य/मानक शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) प्रारंभ करना, प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का कर लगाना, वृक्ष कटाई को न्यूनतम करना, वैकल्पिक ईंधनों की व्यवस्था, वन क्षेत्र के भीतर रिक्त-स्थानों में वनीकरण उपाय करना, चरण-बद्ध रीति से खनन प्रचालन करना, सुरक्षित ज़ोन का प्रबंधन, उत्खनन का सुधार, उपरिमृदा का संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना तैयार और क्रियान्वित करना, कूड़ा-करकट निपटान योजना, विनिर्दिष्ट मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) को कायम रखना, बौनी प्रजातियों का रोपण शामिल है । ऊपर उल्लिखित सामान्य और मानक शर्तों के अलावा, अनुमोदन में वन सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर विशिष्ट शर्तें भी विनिर्दिष्ट की जाती हैं । इसके अलावा, इस मंत्रालय ने अक्षत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मानदंड भी तैयार किये हैं । उक्त मानदंडों को संबंधित मंत्रालयों और अन्य हित धारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है । जिन प्राचीन वनों में खनन कार्य इन वनों को अनिवर्त्य क्षति पहुंचा सकता है, उनको खनन कार्य से बाहर रखा जाएगा।

******